

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ०प्र०, लो०नि०वि०, लखनऊ-226001
UP PWD, Lucknow-226001

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग



96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2235472
Fax No. : 0522-2236716
E-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 1529/बी.डी.डी.:1(एनएच)/40एमटी-11/2021

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 02.11.2021.....

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1493/बी०डी०डी०-1(एनएच)/40एम०टी०-11/2021 दिनांक-13.10.2021 द्वारा आयोजित लो०नि०वि० की उच्च स्तरीय तकनीकी समिति (Empowered Committee) की बैठक में विचारोपरान्त, भवनों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के Maintenance Manual of Building भाग-2 के अध्याय 9 Valuation of buildings को, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से जारी Guidelines for valuation of Immovable properties 2009 के अध्याय 5 Methods of valuation से प्रतिस्थापित किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ Empowered Committee द्वारा जारी अनुमोदन दिनांक-02.11.2021 को पारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक:- Empowered Committee द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव

Rakesh
02/11/2021
(राकेश सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

पत्रांक-

दिनांक.....

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०/नियोजन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/आवास/नगर विकास, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प/नियोजन)/(ग्रामीण सड़क), लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कैन्ट रोड, लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र०, रा०नि०नि०लि०/उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
5. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, लखनऊ।
6. महालेखाकार, वर्क्स उ०प्र० इलाहाबाद।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, उ०प्र० लखनऊ।
10. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, चीनी उद्योग एवं गन्ना परिषद, न्यू बेरी रोड, लखनऊ।
11. निदेशक, पंचायती राज, निकट पुरनियां चौराहा, लोहिया भवन, लखनऊ।
12. निदेशक, मण्डी परिषद, किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
13. मुख्यालय स्थित समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
14. निदेशक, अन्वेषणालय/उप निदेशक, क्यू०पी०सी०, लो०नि०वि०, लखनऊ।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०।


Roym
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (मु०-2)
लो०नि०वि०, लखनऊ


दिनांक 13.10.2021 को आयोजित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक


के एजेण्डा बिन्दु सं0-02 का अनुमोदित प्रस्ताव


उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के Maintenance Manual of Building भाग-2 के अध्याय-9 Valuation of Buildings को एतद्वारा Guidelines for Valuation of Immovable Properties 2009 (वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहयोग से जारी दस्तावेज) के अध्याय 5 Methods of Valuation से निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है:-


1. विभाग में अधिशासी अभियन्ता द्वारा भवनों के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। Guidelines for Valuation of Immovable Properties 2009 के अध्याय 5 में भवनों के मूल्यांकन (Valuation) तथा मूल्य-ह्रास (Depreciation) के सम्बंध में दी गई विभिन्न विधियों में से चयन का दायित्व अधिशासी अभियन्ता का होगा जिनके द्वारा परिस्थिति के अनुसार विधि का चयन किया जायेगा एवं इसका उल्लेख प्रत्येक मूल्यांकन आख्या में किया जायेगा।
2. समय-समय पर मुख्य अभियन्ता (भवन), उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा जारी प्लिन्थ एरिया रेट्स मूल्यांकन हेतु मान्य होंगे एवं Guidelines for Valuation of Immovable Properties 2009 के अध्याय 5 में दी गयी व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।
3. Maintenance Manual of Building के अध्याय 9 (सपटित Appendix 37) में आवासीय भवनों के किराये से सम्बंधित Financial Handbook Vol-5 chapter 13 की व्यवस्था यथावत रहेगी।
4. Guidelines for Valuation of Immovable Properties 2009 में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन स्वतः लागू माने जायेंगे।



मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय-1)
लो0नि0वि0, लखनऊ



मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ


मुख्य अभियन्ता
(रा0मा0)
लो0नि0वि0, लखनऊ


मुख्य अभियन्ता
(वाहय सहा0 परि0)
लो0नि0वि0, लखनऊ


प्रमुख अभियन्ता
(परिकल्प एवं नियोजन)
लो0नि0वि0, लखनऊ


प्रमुख अभियन्ता
(ग्रामीण सड़क)
लो0नि0वि0, लखनऊ


प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ